भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4146

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

एनआरसीपी द्वारा लाभान्वित राज्य

4146. श्री निशीथ प्रामाणिक:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत राज्यों की सहायता कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना से सबसे अधिक कौन से राज्य लाभान्वित हुए है;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य को कितनी निधि आवंटित की गई है और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) नगरों और शहरों अशोधित और आंशिक रूप से शोधित सीवेज और औद्योगिक बहिर्साव, देश की नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नदी की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर नदियों के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। विभिन्न नदियों (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के चिह्नित प्रदूषित खंडों में प्रदूषण समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर सहायता दी जाती है। यह सहायता कच्चे सीवेज को रोककर उसके मार्ग परिवर्तन, सीवेज प्रणालियों के निर्माण, सीवेज परिशोधन संयंत्रों की स्थापना, किफायती स्वच्छता, नदी तट/स्नान घाट विकास जैसे प्रदूषण समाप्त करने संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए दी जाती है। एनआरसीपी ने अब तक (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोडकर) देश के 16 राज्यों में 77 शहरों में 34 नदियों के प्रदूषित खंडों को कवर किया है, जिसके लिए 5870.54 करोड रूपए की लागत स्वीकृत की गई है और कार्यक्रम के तहत 2522.03 बिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार सृजित की गई है।

पश्चिम बंगाल में एनआरसीपी के तहत गंगा, दामोदर, महानंदा नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के कार्यों को 1500.77 करोड रूपए की लागत स्वीकृत की गई है। इन शहरों में 31.07.2014 तक 519.52 करोड रूपए की राशि केन्द्रीय निधि के रूप में आवंटित की गई थी और 554.77 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का सृजन किया गया। 01.08.2014 के बाद से गंगा और उसकी सहायक नदियों से जुड़े कार्यों को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत लाया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल में गंगा, दामोदर और बांका नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए, 3789.71 करोड रूपए की परियोजनाओं को मंजूदी दी गई है, जिससे 864.67 एमएलडी शोधन क्षमता का सृजन होगा और राज्य सरकारों को 957.16 करोड रूपए की केन्द्रीय निधि जारी की गई है तथा 232 कि.मी. सीवर नेटवर्क को पूरा करने के साथ-साथ 60.23 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का सृजन किया गया है।

******

अनुलग्नक

'एनआरसीपी द्वारा लाभान्वित राज्य' के विषय में दिनांक 19.03.2020 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4146 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत कवर की गई नदियों, स्वीकृत लागत, और सृजित सीवेज शोधन क्षमता का राज्यवार ब्योरा
(गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोडकर)

(करोड रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल नदियां	स्वीकृत लागत	केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधि	सृजित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	21.78	259.80	30.00
2	तेलंगाना	गोदावरी और मुसी	345.72		621.46
3	जम्मू और कश्मीर	देविका और तवी	186.74	30.00	0
4	झारखंड	सुवर्णरेखा	3.14	4.26	0
5	गुजरात	साबरमती, मिंडोला और तापी	1779.78	493.17	333.00
6	गोवा	मांडवी	14.09	9.26	12.50
7	कर्नाटक	तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार	66.25	47.83	41.64
8	महाराष्ट्र	गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा और मुलमुथा	1182.86	208.95	260.00
9	मध्य प्रदेश	वैनगंगा, नर्मदा और ताप्ती	20.16	12.46	7.95
10	मणिपुर	नामबुल	97.72	18.00	0
11	ओडिशा	ब्राह्मणी, महानदी तटीय क्षेत्र (पुरी)	92.74	63.40	50.00
12	पंजाब	घग्गर, ब्यास और सतलुज	774.43	516.14	663.20
13	तमिलनाडु	अडयार, कूअम, वैगई, वेनार, कावेरी और ताम्बरानी	908.13	623.65	477.66
14	केरल	पम्बा	18.45	7.78	4.50
15	सिक्किम	रानी चू	275.75	181.43	20.12
16	नगालैंड	दीफू और धनसिरी	82.80	34.50	0
कुल			5870.54	2510.63	2522.03

*****